विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय रा.प्र.सं. के विभिन्न पदों के भर्ती के नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1इन नियमों को **रा.प्र.सं.** वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ(प्रशासन, तकनीकी एवं वैज्ञानिक) भर्ती नियम, 1996 कहा जाएगा। इन वर्गों का क्रमश: प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक पद इंगित करने के लिए ए.टी.एस. उपसर्ग जोड़े जाएंगे। प्रत्येक वर्ग की एक ग्रेड संख्या है। इन वर्गों को रोमन अंकों में ऊपर निर्दिष्ट उपसर्गों के अनुसार तथा ग्रुप के अंदर ग्रेड को अरबी अंकों में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए एसI(2) के वैज्ञानिक संवर्ग के वर्गI में दो को संदर्भित करता है, टीII(1) तकनीकी संवर्ग के वर्ग II में प्रथम ग्रेड को संदर्भित करता है,एIII(4)प्रशासनिक संवर्ग के वर्ग III में चतुर्थ ग्रेड इत्यादि को संदर्भित करता है ।

1.1 ये 2.9.96 से लागू होंगे अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकीविभागके अनुमोदन की तारीख सेहै।

2. परिभाषा :

इन नियमों में जब तक प्रसंग के लिए जरुरत न हो तब तक शब्दों का अर्थ निम्नलिखित माना जाएगा : -

2.1'**अनुसूची**' का अर्थ है इन नियमों की अनुसूची।
2.2'**संस्थान**' का अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, संक्षिप्त नाम रा.प्र.सं.।
2.3'**नियंत्रण प्राधिकारी**' का अर्थ है, "निदेशक रा.प्र.सं."।
2.4'**अभ्यर्थी**' का अर्थ है, व्यक्ति/अधिकारी जो इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी एक पद के लिए विचार किए जाने के योग्य हैं।
2.5'**आयु**' का अर्थ है, नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा।
2.6'**एस.एस.**'का अर्थ है, स्टाफ वैज्ञानिक ।
2.7 '**शासी-निकाय**' का अर्थ है, संस्था के बहिर्नियम औररा.प्र.सं.सोसायटी के नियम 2.3 द्वारा गठित निकाय।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मान

पदों कीसंख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मान संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट किया गया होगा।

4. आरंभिक गठन-अधिष्ठापन

4.1 इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से रा.प्र.सं.में कार्यरत वर्ग I, II, III एवं IV के अधिकारी/कर्मचारी (प्रशासन,तकनीकी एवं वैज्ञानिक), आरंभिक गठन की तारीख को जो इन पदों को नियमित आधार पर धारित किए हुए थे को उन पदों पर नियुक्त माना जाएगा।

4.2 अधिकारियों/स्टाफ की प्रत्येक ग्रेड में परस्पर-वरिष्ठता का निर्धारण, आरम्भिक गठन के समय संबंधित ग्रेड में नियमित नियुक्ति की तिथि के अनुसार इस शर्त पर किया जाएगा कि उनके संबंधित ग्रेड के अंदर परस्पर वरिष्ठता में गड़बड़ न हो जाए।

4.3उपरोक्त नियम 4.1 में वर्णित अधिकारियों/स्टाफ की नियमित निरंतर सेवा, उन के अनुरूपित पद जिसे वे अपनी नियुक्ति से पूर्व इन नियमों के अंतर्गत, प्रारम्भिक गठन के समय नियमित रूप से धारित किए हुए थे की गणना परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति, स्थाईकरण, केंद्रीय सामन्य भविष्यनिधि, उपदान आदि के लिए की जाएगी।

<u>**भविष्य रखरखाव**</u>

5. भर्ती मानदंड

5.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसूची में निर्दिष्ट की गई होगी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ तथा तकनीकी स्टाफ से सबंधित पदों के लिए रूचि के क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का निर्णय पदों का विज्ञापन देने से पूर्व नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्राप्त शैक्षिक योग्यता स्वीकार की जाएगी।

5.2 सभी पदों के लिए इन नियमों के साथ संलग्न सबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट अनुभव पद के लिए आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के बाद जब तक कि संबंधित अनुसूचियों में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया हो प्राप्त अनुभव होगा ।

5.3विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव की सटीक प्रकृति प्रासंगिक पद के लिए विज्ञापन में इंगित की जाएगी।

5.4 योग्य उम्मीदवारों के मामले में अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट नियंत्रण प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर दी जा सकती है।

5.5 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामलों में योग्यता एवं अनुभव के संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर छूट दी जा सकती है, अगर चयन के किसी चरण में नियंत्रण प्राधिकारी को लगता है कि इन समुदायों से अपेक्षित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी उचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जिस से कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके ।

5.6 जैसा कि उचित हो, नियुक्ति सीधी भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण (विशिष्ट अवधि के लिए अनुबंध सहित) पुन: रोजगार, प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी। योग्यता एवं अनुभव के अनुसार हर रिक्ति के लिए भर्ती की पद्धति नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाएगी। जब भी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, पदों का विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जाएगा या किसी अन्य विधि द्वारा, जैसा कि नियंत्रण प्राधिकारी उचित समझते हैं । योग्य अभ्यर्थियों के लिए समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। चयन समिति उन अभ्यर्थियों का जो विदेश में रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनकी उम्मीदवारी पर भी विचार करेगी। विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति के संबंध में चयन समिति/मूल्यांकन बोर्ड के गठन का ब्यौरा इन नियमों के अनुसूची-IV में दिया गया है।

<u>ध्यान दें</u>:- अगर अवलंबी एक वर्ष या अधिक की अवधि के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर होने या दीर्घ बीमारी से ग्रसित होने या अध्ययनार्थ अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में रिक्ति होती है तो यह पद प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के आधार पर भरे जा सकते हैं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अनुभव:-

सीधी भर्ती में हर श्रेणी के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची-V में विनिर्दिष्टानुसार होगी,लेकिन नियमित आधार पर पहले से रा.प्र.सं.में कार्यरत अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पूर्व सैनिकों एवं अन्य विशिष्ट वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार छूट होगी।

ध्यान दें. आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप समूह में

रहने वालों के अलावा)।

6.2सीधी भर्ती के मामले में नियंत्रण प्राधिकारी किसी भी पद के लिए, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य आवश्यकताओं में छूट दे सकते हैं, बशर्ते कि अभ्यर्थी योग्य हैं।

वर्ग III एवं IV पदों के लिए आयु सीमा में अधिकतम 3 साल तथा वर्ग I एवं II के पदों के लिए में निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

7. सीधी भर्ती

7.1 अनुसूची में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी सीधी भर्ती के पात्र हैं तथा चयन अनुसूची-Vमें विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

7.2 चयनित अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करने की तिथि से आरम्भ में 5 वर्ष के लिए अनुबंध नियुक्ति पर होंगे। 4 वर्ष की अवधि पूरी करने पर अभ्यर्थी के कार्य का आंकलन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत समिति द्वारा अभ्यर्थी की कार्य कुशलता का आंकलन किया जाएगा और यह देखा जाएगा की 4 वर्षों की सेवा में अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक रहा अथवा नहीं। अगर आंकलन समिति उनका/उनकी कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तो 5 वर्षकी अनुबंधित सेवा के अंत में उसे/उसको नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।अगर उनका/उनकी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आरंभिक नियुक्ति के दिन से उनके अनुबंध के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरा होने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

7.3 अगर विभागीय अभ्यर्थी का पद के लिए चयन इसी विधि से होता है तो वह पद भी सीधी भर्ती द्वारा भरा समझा जाएगा।

7.4विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा चुने गए सुपात्र मामलों में, अभ्यर्थियों को न्यूनतम वेतनमान जिसमें वे नियुक्त हुए हैं की अपेक्षा आरम्भ में उच्च वेतन दिया जाए। परन्तु ऐसी आरंभिक शुरुआत न्युनतम वेतनमान की पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगी। यदि विशेषज्ञ चयन समिति पाँच अग्रिम वेतन वृद्धी से अधक देने की संस्तुति करती है तो इसकी जाँच रा.प्र.सं. की शासी निकाय द्वारा की जाएगी, जो ऐसा निर्णय लेने के लिए सक्षम निकाय है।

प्रतिनियुक्ति/अवशोषण भर्ती पद्धती

अगर अभ्यर्थी अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव रखते हैं तो अन्य केन्द्रीय सरकार/राज्यसरकार/मंत्रालय/विभाग/अर्धशासकीय संगठन, विश्विद्यालय अनुसंधान संस्थान, स्वायत्त निकाय, उपक्रमों के अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार भरे जा सकते हैं; अर्थात :-

8.1 उम्मीदवार आवेदित पद के लिए वेतनमान एवं स्थिति के अनुरूप पदधारित हैं ।

8.2अभ्यर्थी ने निचले पद पर कम से कम 5 वर्ष तक काम किया हो। बशर्ते कि:-

क) प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अवलंबी तथा देने वाली संस्था की लिखित स्वीकृति के बाद बढाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति उसी निकाय या अन्य किसी संगठन/विभाग में कुल अवधि 5 साल से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए नियम एवं शर्तें अनुसूची-VI में निर्दिष्ट की गई हैं।

ख) लेंडिंग मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संस्थाओं आदि की सहमति एवं पदधारी की सहमती से अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति के दौरान रिक्त पद होने पर संस्थान में किसी भी समय विलीन किया जा सकता है अगर अनुसूची IV में निर्दिष्ट नियमानुसार अभ्यर्थी का चयन विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा किया गया है ।

ग) विलीन होने से पहले प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति के दौरान पदोन्नति के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

ङ) फीडर श्रेणी के विभागीय अभ्यर्थी जो सीधे पदोन्नति के क्रम में हैं वह प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे सिवाए पूर्ण संवर्ग पदों के जिसके लिए वह फीडर श्रेणी अधिकारी नहीं हैं।

च) जैसा की ऊपर कहा गया है कि पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने से रिक्त स्थान हुए या लंबी बीमारी, या शिक्षा अवकाश या किसी अन्य वजह से एक वर्ष या अधिक समय के लिए रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति पर दूसरे संगठनों से अधिकारियों को बुलाया जा सकता है।

9.पुनर्नियोजन

अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा से अधिवर्षता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समयपर जारी किए सामान्य या विशेष आदेशों/अनुदेशों के अनुसार पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

10.परिवीक्षा अवधि

सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा हुई सभी नियुक्तियों के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से कम कर सकता है अथवा आगे बढ़ाया सकता है।

11. भारत में या/विदेशों में सेवा करने के लिए अधिकारियों का दायित्व

नियुक्त अधिकारी सम्पूर्ण भारत/विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य होंगे।

12. छूट देने का अधिकार

किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति के लिए इन नियमों के किसी प्रावधान में कोई छूट दी जाए, जहाँ शासी निकाय की ऐसी राय है तो इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएँ।

13. बचत

इन नियमों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग भूत पूर्व सैनिकों तथा विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बंध में जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा रियायत देने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. अयोग्यता

कोई भी व्यक्ति
क) एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए अनुबंध करता है या कर लिया जिस की पति/पत्नी पहले से जीवित है। या-

ख) अन्य व्यक्ति के साथ शादी करने का अनुबंध करता है या कर लेता है जिसकी/जिसका पति/पति जीवित है, कथित किसी पद पर नियुक्ति का पात्र होगा बशर्ते कि रा.प्र.सं. संतुष्ट हो जाता है की उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल विधि के अंतर्गत ऐसी शादी करने की अनुमति है

तथा दूसरा पक्ष शादी करता है उसके पास ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो इस नियम के प्रचलन से किसी को भी माफ़ किया जा सकता है ।

15. कोई कर्मचारी इन नियमों के लागू होने के पहले या बाद में भर्ती हुआ है, वह शासी निकाय तथा सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित एवं अनुमोदित संस्थान के उप-नियमों द्वारा शासित होगा।

पदोन्नति

16.प्रशासनिक संवर्ग

पदस्त की उच्च पद पर पदोन्नति योग्यता के सिद्धांत पर अर्थात "चयन" तथा वरिष्ठता सह-उप्युक्तता के आधार पर अर्थात "गैर-चयन" से होगी । पदोन्नति, विभागीय पदोन्नति समिति/मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। प्रशासनिक संवर्ग में कोई स्वत: पदोन्नति नहीं होगी पदोन्नति स्पष्ट रिक्तियां होने पर ही की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है तथा निर्धारित विभागीय अहर्ता परीक्षा पास कर ली है वह विभागीय पदोन्नति समिति/मूल्यांकन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए विचार करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि उन्होंने अनुसूची-I में उल्लेखित अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी कर ली है। संस्थान समय-समय पर विभागीय परीक्षा लेगा। जो अभ्यर्थी विभागीय अर्हकारी असफल हो जाता है वह अगली बार परीक्षा में बैठ सकता है। पदोन्नति के लिए अवसरों का उल्लेख अनुसूची-Iमें किया गया है।

17.तकनीकी संवर्ग

17.1 सामान्य रूप से प्रत्येक सम्वर्ग/विधा में सबसे निम्न ग्रेड में सीधी भर्ती के माध्यम सेकिया जाएगा। अत: किसी भी कारण से होने वाली रिक्ति सबसे कम ग्रेड की रिक्ति होगी। बहरहाल, अन्य ग्रेडों में सीधी भर्ती ज़रूरत महसूस करने पर ही की जाएगी ।

17.2 अगले उच्चग्रेड के पद पर चयन के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ विभागीय अभ्यर्थी भी साक्षात्कार में बैठ सकते हैं ।बशर्ते कि वेवांछनीय योग्यताएं रखते हैं या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में छूट के उद्देश्य से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ट्रेड योग्यता तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक योग्यताएं अनुसूची-II में दी गईं हैं। अनुसूचीII में दी गई निर्धारित योग्यता/अनुभव में किसी भी तरह का संशोधन करने की अनुमति नहीं है,लेकिन असाधारण मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसमें संशोधन किया जा सकता है यह पद के लिए विज्ञापन

देने से पहले किया जाना चाहिए ।

17.3वरिष्ठता

धारा 17.4.2. में निहित प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के उद्देश्य से तकनीकी सेवा कर्मचारियों के मध्य परस्पर वरिष्ठता होगी।

17.4 कैरियर में उन्नति

17.4.1 .कर्मचारियों के कैरियर में उन्नति, निम्नलिखित तरीके सेउनकी संबंधित श्रेणियों में की जाएगी:

17.4.2 कार्य कुशलता के आंकलन के आधार पर उच्च ग्रेड में तीन वेतन वृद्धि मिलने के बाद भी एक ग्रेड से दूसरे उच्च ग्रेड में पदोन्नति का अधार योग्यता सम्वर्धन प्रणाली होगी । अनुसूची II में दी गई निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद सम्बंधित कर्मचारी ऐसी पदोन्नति के लिए या अग्रिम वेतन वृद्धि देने पर विचार करने के लिए पात्र होगा।

ध्यान दें:- अनुसूची-II में निर्धारित अवधि के पूरा होने पर समीक्षा पूरी के बाद ऐसे पदों पर तैनात कर्मचारियों का जिनमें पदोन्नति के अवसर नहीं हैं, वे उस ग्रेड में अधिकतम तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे ।

17.4.3 प्रशिक्षण

योग्यता पदोन्नति के लिए पात्रता का आंकलन सेवा काल की अवधिमें अनुसूची II में उल्लेखित आवश्यक योग्यता पूरा करने पर निर्भर करता है। अनुसूची-II के अनुसार आवश्यक योग्यता/ट्रेड अनुभव पूरा नहीं करने वाले कर्मचरियों को सेवा काल के दौरान प्राप्त करने का एक अवसर मिलता है, संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उचित अंतराल पर चलाएगा, जिसमें शिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण का समावेश होगा । पाठ्यक्रम के अंत में उनकी क्षमता का आंकलन करने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/ट्रेड परीक्षा देनी होगी। एक निर्धारित प्रतिशत में अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा समय-समय पर की जाएगी । नियम 5.2 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण/परीक्षण के माध्यम से योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी।

18. वैज्ञानिक संवर्ग (समूह I के पद)

18.1पदोन्नति के अवसर

वैज्ञानिक संवर्ग में पदोन्नति लचीली पूरक योजना के अंतर्गत की जाएगी (स्वस्थाने पदोन्नति)। एक वैज्ञानिक ग्रेड VII तक वेतनमान 37,400-6700 पे बैण्ड -4 ग्रेड वेतन रू. 10,000/- सहित पदोन्नति के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक कर्मियों पर लागू लचीली पूरक योजना के ज़रिए पात्र होंगे।

18.2 लचीली पूरक योजना के अंतर्गत पदोन्नति (स्वस्थाने पदोन्नति)

लचीली पूरक योजना तथा स्वस्थाने पदोन्नति प्रणाली संस्थान के स्टाफ वैज्ञानिक ग्रेड II, III, IV, V, VI, VII तक की पदोन्नति पर लागू होगी। यदि अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति पाती है कि वैज्ञानिक स्टाफ वैज्ञानिक III, IV, V, VI तथा VII पद के लिए उपयुक्त है तथा उस समय ऐसे पद स्वीकृति नफरी के अंदर उपलब्ध नहीं है तो पदों को स्टाफ वैज्ञानिक II से IIIस्टाफ वैज्ञानिक वैज्ञानिक III से IVस्टाफ वैज्ञानिक IV से V स्टाफ वैज्ञानिक V से VI तथा स्टाफ वैज्ञानिक VI से स्टाफ वैज्ञानिक VII पर उन्नयन कर पदोन्नति दी जाए । बिना किसी रुकावट के पूरी अंतर परिवर्तन शीलता होगी सिवाय इसके कि वैज्ञानिक सम्वर्ग की कुल स्वीकृति नफरी से पदधारी अधिक नहीं होने चाहिए। संस्थान अलग-अलग वेतनमानों के पदों में फेरबदल करने के लिए स्वतंत्र है। ताकि अवर वेतन मान से उच्च वेतनमान में एक अधिकारी की पदोन्नति सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सिद्ध योग्यता तथा शोध रिकार्ड ही मापदंड होगा। परिवर्तन पूरक योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए प्रत्येक ग्रेड में न्यूनतम 5वर्ष रहना होगा अन्यथा नियम 19.1 के तहत रियायत देनी होगी ।

18.3 इसयोजना के तहत पदोन्नति, संबंधित अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी और इस संदर्भ में अवर ग्रेड में विशिष्ट रिक्ति नहीं होगी।वर्तमान में संबंधित अधिकारी द्वारा धारित पद को उसके/उसकी पदोन्नति पद पर बने रहने के लिए उन्नयन किया जाएगा।अधिकारी उच्च पद को एक बार खाली कर देता है तो पद वापस अपने मूल स्तर पर आ जाएगा।

19. लचीली पूरक योजना के माध्यम से समीक्षा

जहाँ तक व्यावहारिक है मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी अर्थात 1 जनवरी और 1 जुलाई से पहले हर वर्ष 3 माह की अवधि से पहले या तीन महीने के बाद 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी हो के दौरान एक पद पर बने रहने की अवधि जो पूरी कर चुके हैं या करेंगे उन्हे पात्रता सूची में उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए उसी तिथि में समीक्षा करने पर विचार करनेके लिए शामिल किया जाएगा। पदोन्नति की प्रभावी तिथि वह होगी जिस को कर्मचारी पात्र हो जाता है और न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी करने की अवधि के मापदंड या मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई छूट पूरी कर लेता है।

19.2 यहाँ कोई पूर्वव्यापी पदोन्नति नहीं होगी (सिवाय उपर 20.1 में दी गई तिथि के) ।

19.3 प्रतिनियुक्ति या अन्यत्र सेवा या विदेश या भारत या विदेश में विश्राम अवकाश की वजह से जहाँ एक पात्र वैज्ञानिक समीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है उनके मामलों की तत्काल समीक्षा करने पर विचार उनकी वापसी पर किया जाएगा।

19.4 वैज्ञानिक पद पर कार्यरत एक व्यक्ति अगर मूल्यांकन समिति कीसमीक्षा के बाद वह पात्र नहीं पाया जाता है तो वह दूसरी समीक्षा के लिए पहली समीक्षा की तारीख से एक साल के बाद ही पात्र होगा।

20. पदोन्नति की समीक्षा के प्रयोजन के लिए सेवाकाल की गणना

तदर्थ सेवाओं को छोड़कर सरकारी विभाग, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि में नियमित रूप से की गई सेवाएं, किसी पद पर की गईं सेवाएं अगले उच्च पद पर पदोन्नति की समीक्षा प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

21. सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना

ग्रुप क,ख,ग सेवाओं/पदों तथा ग्रुप क,ख,ग,घ, वर्गों के पृथक पद, जिसमें पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं, वे कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 9 अगस्त 1999 कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/1/97-स्थपना (डी),तथा समय-समय पर इस योजना में परिवर्तन/संशोधन के बाद निहित प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची - I
अनुसूची - II
अनुसूची- II
अनुसूची- III
अनुसूची- IV
अनुसूची- V
अनुसूची- VI